Disclaimer

Under the **Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) {PMAY (U)}**, demand survey is conducted by concerned ULBs, offline and online, free of cost. Online registration can also be made by eligible beneficiaries themselves through the Ministry's website. This is for information of the general public that this Ministry has not authorized any private entity or person to collect money as a consideration for availing of any benefit under the PMAY (U) Mission. The citizens are advised to verify with the Ministry officials in case of any doubt in this regard at the following contact number / email id:.

Shri R.K. Gautam
Director (HFA-5),
Ministry of Housing and Urban Affairs
Room No. 118,G Wing, NBO Building,
Nirman Bhawan, New Delhi-110011
011-23060484, 011-23063285
pmaymis-mhupa@gov.in, grievance-pmay@gov.in
Toll free number of NHB and HUDCO:
NHB: 1800-11-3377, 1800-11-3388,
HUDCO: 1800-11-6163

Any person or entity unauthorizedly using the name or logo of the Ministry will be liable for legal action.

****

डिसक्लेमर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई{यू}] के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नि:शुल्क व ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मांग सर्वेक्षण किया जाता है। पात्र लाभार्थियों द्वारा स्वयं भी मंत्रालय की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है ।। सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निजी संस्थान अथवा व्यक्ति को धनराशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है ।

नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने के मामले में निम्नलिखित संपर्क नम्बर/ई-मेल आईडी पर सत्यापन कर सकते हैं ।

श्री राज कुमार गौतम

निदेशक (एचएफए-V),

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,

कमरा सं. 118, जी विंग, एन.बी.ओ. बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दूरभाष -011-23060484, 011-23063285,

ई-मेल: pmaymis-mhupa@gov.in, grievance-pmay@gov.in

NHB और HUDCO के टोल फ्री नंबर

NHB: 1800-11-3377, 1800-11-3388,

HUDCO: 1800-11-6163

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस मंत्रालय का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनधिकृत रूप से उपयोग करता पाया जाता है तो वह कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा ।